फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

दिलखुश बनाम हंजादेवी

किस्म मुकदमा ......225.आर.टी.एक्ट............... मुकदमा नंबर.........80...............सन.........2022................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.12.2022	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर आहोर द्वारा मुकदमा संख्या 13/2022 बउनवान दिलखुश बनाम हंजादेवी में पारित आदेश दिनांक 22.11.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा गोदन, तहसील आहोर के खसरा संख्या 665/934, 666, 667, 668 कुल क्षैत्रफल 0.2000 हैक्टेयर आयी हुई है। जिसमें रेस्पोडेण्ट द्वारा निर्माण कार्य कर अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में दखलान्दाजी करते हुए अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया तो अपीलाण्ट न्याय से वंचित रह जायेगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर मौके व राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान करावे। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपील के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की जो प्रतियां प्रस्तुत की गई है, उनके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी नहीं किया। तद्नुसार विधिक दृष्टिकोण से प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायहित में हम यह निर्देश दिया जाना उचित समझते हैं कि उपखण्ड अधिकारी आहोर दोनो पक्षों को सुनकर विधि अनुसार कार्यवाही कर दो माह के भीतर प्रकरण पर यथोचित निर्णय पारित करें, तब तक जैर अपील विवादित आराजी मौजा गोदन, तहसील आहोर के खसरा संख्या 665/934, 666, 667, 668 कुल क्षैत्रफल 0.2000 हैक्टेयर की आराजी के संबंध	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

	में उभयपक्षकारान मौके व राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। इस आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय एवं तहसीलदार आहोर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	
	राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	